संख्या-608/2023/1468/22-2-2023-17(832)/2023

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 दिसम्बर, 2023

विषय केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री भूदेव, निवासी जनपद-अलीगढ़ की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-2376/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022) दिनांक-24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री भूदेव, ग्राम-ईकरी, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनाक 28.07.1994 को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनिया, कुल्हाडी तथा तमन्चा से मारकर राम सिंह, वीरपाल, मगल सिंह उर्फ उदल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा श्रीमती लौंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-1937/1994 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, अलीगढ के आदेश दिनांक 05.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत करते हुए आदेश दिनाक 14.08.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 04.10.2022 तक बंदी की आयु 50 वर्ष 02 माह 01 दिन है तथा बंदी द्वारा दिनाक 04.10.2022 तक 18 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 05 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने पर पुनः किसी घटना से इंकार नहीं करने, भविष्य में अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बन्दी एवं मुकदमा के वादी एक ही गांव के होने व पूर्व की पुरानी रंजिश होने के कारण रिहा होने पर पुनः दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने के दृष्टिगत निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.07.1994 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनियां, कुल्हाडी तथा तमंचा से 03 व्यक्तियों की हत्या व 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री भूदेव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन (बंदी संख्या-10247) पुत्र श्री भूदेव, निवासी जनपद-अलीगढ़ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-608/2023/1468(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-340/2023 कालीचरन व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2023 एवं दिनांक 24.11.2023 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-608/2023/1468/22-2-2023-17(832)/2023

दिनांक 10 दिसम्बर, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी कालीचरन पुत्र श्री भूदेव, ग्राम-ईकरी, थाना-क्वार्सी, जनपद-अलीगढ का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनाक 28.07.1994 को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनिया, कुल्हाडी तथा तमन्चा से मारकर राम सिंह, वीरपाल, मगल सिंह उर्फ उदल नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा श्रीमती लौंगश्री नामक महिला को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-1937/1994 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, अलीगढ के आदेश दिनांक 05.10.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्णीत करते हुए आदेश दिनाक 14.08.2015 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 04.10.2022 तक बंदी की आयु 50 वर्ष 02 माह 01 दिन है तथा बंदी द्वारा दिनाक 04.10.2022 तक 18 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 05 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने पर पुनः किसी घटना से इंकार नहीं करने, भविष्य में अपराध करने में अशक्त नहीं होने तथा बन्दी एवं मुकदमा के वादी एक ही गांव के होने व पूर्व की पुरानी रंजिश होने के कारण रिहा होने पर पुनः दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने के दृष्टिगत निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 28.07.1994 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, पौनियां, कुल्हाडी तथा तमंचा से 03 व्यक्तियों की हत्या व 01 अन्य को घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कालीचरन पुत्र श्री भूदेव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।